न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 01/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/37

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री तगा/ लिमजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत लोहारिया बडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

श्री दिलीप गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 05–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि **श्री तगा/ लिमजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत लोहारिया बडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ** की जांच दिनांक 21.07.2017 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। विस्तृत जांच करने पर दुकान/ गौदाम के भौतिक सत्यापन, मुताबिक पोस मशिन व राजस संघ (थोक विक्रेता) द्वारा उपलब्ध कराये गये गेहूँ के बिलो की प्रतियों के अनुसार लोहारिया बडा भाग प्रथम को सितंबर 2016 से जुलाई 2017 तक कुल 1433.00 क्विं. गेहूँ का आवंटन हुआ एवं उसके द्वारा पोस मशिन से 1329.78 क्विं. गेहूँ वितरित किया गया व लोहारिया बडा भाग द्वितीय को सितंबर 2016 से जुलाई 2017 तक कुल 1214.00 क्वि. गेहूँ का आवंटन हुआ उसके द्वारा पोस मशिन से 1166.54 क्विं. गेहूँ का वितरण किया गया। इस प्रकार दोनो दुकानो का कुल 150.12 क्विं. गेहूँ का गबन व दुरुपयोग किया गया।

उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 08.11.2017 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कुशलगढ में दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार डीलर ने ग्राम पंचायत लोहारिया बडा भाग प्रथम पोस कोड 6451 का कुल 103.22 क्विं. गेहूँ एवं लोहारिया बडा भाग द्वितीय पोस कोड 6450 का 47.66 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। इस प्रकार दोनो दुकानो का कुल 150.68 क्विं. गेहूँ की किमत 27 रु प्रति किग्रा की दर से 406836/–रु. बनती है। उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 406836/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी अप्रार्थी की ओर से दिनांक 28.08.2024 को श्री दिलीप कुमार गुप्ता अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं प्रकरण में जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में मुख्य रुप से उल्लेख किया कि प्रार्थी के खिलाफ इस मामले में गमन के कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थी के खिलाफ जो गेहूँ की गमन का एमाउंट बताया गया है वह गलत है। इस एमाउंट में से 47 क्विं. गेहूँ को एवं पोस मशिन को भूरजी पिता रकमा निवासी हिम्मतपुरी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत डूंगरीपाडा भाग द्वितीय का डीलर नियुक्त है उसे प्रवर्तन निदेशक द्वारा प्रार्थी से दिलाया गया था। इसी मामले को लेकर प्रार्थी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब कुशलगढ में मुकदमा नंबर 549/2019 दर्ज है। मामले को लेकर प्रार्थी के खिलाफ दो तरह की कार्यवाही नही चलाई जा सकती है। श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त मामले में सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक डिमान्ड राशि रु 406836/– को स्थगित करने का आदेश फरमावे।

दिनांक 10.01.2025 व 12.02.2025 को उभयपक्षकरान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि **श्री तगा/ लिमजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत लोहारिया बडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ** की जांच दिनांक 21.07.2017 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। जिसमें जांच मौके पर दुकान/ गौदाम के भौतिक सत्यापन, मुताबिक पोस मशिन व राजस संघ (थोक विक्रेता) द्वारा उपलब्ध कराये गये गेहूँ के बिलो की प्रतियों के अनुसार लोहारिया बडा भाग प्रथम को सितंबर 2016 से जुलाई 2017 तक कुल 1433.00 क्विं. गेहूँ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:27 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आवंटन हुआ एवं उसके द्वारा पोस मशिन से 1329.78 क्विं. गेहूँ वितरित किया गया व लोहारिया बडा भाग द्वितीय को सितंबर 2016 से जुलाई 2017 तक कुल 1214.00 क्वि. गेहूँ का आवंटन हुआ उसके द्वारा पोस मशिन से 1166.54 क्विं. गेहूँ का वितरण किया गया। इस प्रकार दोनो दुकानो का कुल 150.68 क्विं. गेहूँ का गबन व दुरुपयोग किया गया। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर तगा/ लिमजी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 08.11.2017 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कुशलगढ में दर्ज करवाई गई। इस प्रकार दोनो दुकानो का कुल 150.68 क्विं. गेहूँ की किमत 27 रु प्रति किग्रा की दर से 406836/–रु. बनती है। उक्त प्रकरण में पीडीआर एक्ट के तहत राशि वसूल किये जाने निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के खिलाफ इस मामले में गमन के कोई साक्ष्य नही है। अप्रार्थी के खिलाफ जो गेहूँ की गमन का एमाउंट बताया गया है वह गलत है। इस एमाउंट में से 47 क्विं. गेहूँ को एवं पोस मशिन को भूरजी पिता रकमा निवासी हिम्मतपुरी तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत डूंगरीपाडा भाग द्वितीय का डीलर नियुक्त है उसे प्रवर्तन निदेशक द्वारा अप्रार्थी से दिलाया गया था। इसी मामले को लेकर प्रार्थी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब कुशलगढ में मुकदमा नंबर 549/2019 दर्ज है। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ की प्रोसिडिंग की नकल पेश की एवं कथन किया कि प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य में चल रहा है। एक ही मामले को लेकर प्रार्थी के खिलाफ दो तरह की कार्यवाही नही चलाई जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जन मांग वसूली अधिनियम 1952 निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि **श्री तगा/ लिमजी, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत लोहारिया बडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ, जिला बांसवाडा** द्वारा उचित मूल्य दुकान लोहारिया बडा प्रथम में 103.22 क्विं. गेहूँ व उचित मूल्य दुकार लाहारिया बडा भाग द्वितीय में 47.46 क्विं. गेहूँ कुल 150.68 क्विंटल गेहूं, को गबन कर खुर्द बुर्द किया गया है। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:27 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,9,15 व 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना कुशलगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 10.03.2022 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1012/1998 निरस्त किया गया है। डीलर से 150.68 क्विं. गेहु कम पाया गया, इस प्रकार डीलर द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। 150.68 क्विं. गेहु, की राशि विभाग अनुसार 406836/— रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी **श्री तगा/ लिमजी, उचित मुल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत लोहारिया बडा, भाग द्वितीय, तहसील कुशलगढ, जिला बांसवाडा** से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 150.68 क्विं. गेहु की राशि विभाग अनुसार 406836/— रु अक्षरे रुपया चार लाख छः हजार आठ सौ छत्तीस की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 05—03—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.04.02 10:41:27 IST
Reason: SelfAttested